न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/2016

1. तरसेमसिंह पुत्र जीतराम | जाति चमार(हरीजन) निवासी गांव 72 जी.बी.तह0
2. गुरमीतकौर पत्नी जीतराम | अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. भूराराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी 21 एस.जे.एम. खोखरांवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 21.05.14 व 10.06.14

उपस्थिति:-

श्री रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सोहनलाल जोशी, अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.06.2016

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 21.05.14 व 10.06.14 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 को चक 21 एस.जे.एम. के मु.नं. 296/375 के कि.नं. 23 से 25 की 0.684है0 भूमि स्मालपेच में आवंटित की गई है एवं किश्तें जमा होने पर आवंटन आदेश जारी किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त मुरब्बा के कि.नं. 1 से 22 की भूमि अपीलांट के नाम से है। विवादित भूमि अपीलांट के मुरब्बा में है। अपीलांट आवंटन की प्रथम पात्रता रखता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल

प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अत: अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के नाम से नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अपील मियाद बाहर है, देरी बाबत कोई समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। रेस्पों. को आवंटन का पात्र मानते हुए विवादित भूमि का आवंटन किया गया है जो उचित है। अत: अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उसका जबाब रेस्पों. द्वारा दिया गया है किन्तु अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 24.05.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका जबाब रेस्पों. द्वारा दिया गया है। अधी. न्यायालय में अपीलांट के नाम से जारी नोटिस पर मकान आबाद पर चस्पा की रिपोर्ट है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अत: अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

आवंटित भूमि चक 21 एस.जे.एम. के मु.नं. 296/375 के कि.नं. 23 से 25 रकबा 0.684है0 रेस्पों. भूराराम को बतौर स्मालपेच आवंटन किया गया है जिसके विपती हुई भूमि चक 21 एस.जे.एम. के मु.नं. 296/376 होकर अधी. न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये नजरी नक्शें में बैंगनी रंग से दर्शाया है वही अपीलांट की भूमि चक 21एस.जे.एम. में मु.नं. 296/375 आसमानी रंग से दर्शायी है तथा विवादित आराजी राज मु.नं. 296/375 भगवा रंग से

19/9/18

दर्शायी है। Bare -eyes से विवादित आराजी अपीलांट की कृषि भूमि से Adgoining है जोकि रेस्पों. की कृषि से मात्र एक कोना tuch हो रहा है जिसे Adgoining माना जाना उचित नहीं है। साथ ही तहसीलदार की रिपोर्ट की रकबा के बीच में खाला व रास्ता आला है। यह प्रमाणित करता है कि विवादित भूमि के आवंटन की पात्रता अपीलांट की है न कि रेस्पों. की। तदानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ आदेश दिनांक 31.05.2014 व 10.06.2014 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर